ग्राम पंचायत धुन्धला, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत धुन्धला, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति उर्मिला देवी	1.4.2013 से 22.1.2006
2.	श्री संजीव कुमार	23.1.2013 से अघतन

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री जय राम	1.4.2013 से अघतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत धुन्धला के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	6	अनुदानों का उपयोग न करना	14.32
2.	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बगैर स्टोर/स्टॉक का क्रय करना	2.46
3.	8	निर्धारित सीमेंट की खपत से 33 बैग सीमेंट की कम खपत करने के	विवरण

		कारण C/o link road will. Dhatol to Dam (Shamshan Ghat) का कार्य निम्न गुणवता का होना	पैरे में
4.	9(क)	खेल उपकरणों का अनियमित वितरण	0.32
5.	9(ख)	ग्राम सभा के अनुमोदन के बगैर व निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण न कर अनियमित व्यय	0.18
6.	9(ग)	ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना जे0सी0बी0 द्वारा कार्य करवाने पर अनियमित व्यय	0.23
7.	10(क)	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना	0.29

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत धुन्धला, विकास विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 11.7.2016 से 14.7.2016 तक कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 3/14, 10/14, 2/16 व 3/14, 10/14, 11/15 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत धुन्धला, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 213, दिनांक 12.7.2016 द्वारा सचिव, पंचायत धुन्धला से अनुरोध किया गया। ग्राम पंचायत धुन्धला के पत्रांक संख्या : 04, दिनांक 14.1.

2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित किया गया है।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत धुन्धला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत धुन्धला के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	311464.67	93742.80	405207.47	20706	384501.47
2014–15	384501.47	134870.25	519371.72	100717	418654.72
2015–16	418654.72	107913	526567.72	14271	512296.72

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत धुन्धला के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	749151.53	3257881	4007032.53	2799237.70	1207794.83
2014–15	1207794.83	1635533.10	2843327.93	1959204.65	884123.28
2015–16	884123.28	2977982.70	3862105.98	2430529.88	1431576.10

4.1 बैंक समाधान विवरणी :–

जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत धुन्धला द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15 की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया है। अतः मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 के रोकड़ वहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है।

अन्तशेष का विवरण :–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि (₹)
1.	के0सी0सी0बी0 बंगाणा	20034024172	1940211
2.	पी0एन0बी0 बंगाणा	6809000100017226	188.82

3.	पी0एन0बी0 बंगाणा	6809001700000120	3111
4.	हस्तगत शेष (सामान्य निधि)	–	278
5.	हस्तगत शेष (आई0डब्ल्यू0एम0पी0.III)	–	84
			₹1943872.82

5. पंचायत राजस्व ₹420 का गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

(क) सचिव ग्राम पंचायत धुन्धला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक गृहकर के रूप में ₹420 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	120	18420	18540	शून्य	18540
2014–15	18540	18740	37280	36700	580
2015–16	580	18960	19540	19120	420

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के गृहकर का मांग एवं एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में रजिस्टर नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. अनुदान ₹14.32 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1431576 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.46 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹245977 की निर्माण सामग्री का क्रय बिना औपचारिकताओं को पूण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. निर्धारित सीमेंट की खपत से 32 बैग सीमेंट की कम खपत करने के कारण निर्माण कार्य C/o link road will. Dhatol to Dam (Shamshan Ghat) का कार्य निम्न गुणवता का होना :–

जांच के दौरान पाया गया कि MPLADs शीर्ष अन्तर्गत ग्राम पंचायत धुन्धला को C/o link road will. Dhatol to Dam (Shamshan Ghat) हेतु ₹200000 का अनुदान प्राप्त हुआ है व उक्त कार्य का मूल्यांकन माप पुस्तिका संख्या : 4027 पृष्ठ : 81 से 83 पर दर्ज है। माप पुस्तिका की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य में Providing and laying cement concrete in 1:6:12 व 1:2:4 की मात्रा क्रमशः 27 घन मीटर व 20.75 घन मीटर निष्पादित की गई दर्शाई है। निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप वास्तविक रूप से निष्पादित दर्शाई गई उक्त मदों की मात्रा हेतु 192 बैग सीमेंट प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित था, ताकि उक्त कार्य उच्च गुणवता व पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हो सके, लेकिन उक्त कार्य हेतु केवल हेतु 160 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप 32 बैग सीमेंट का कम प्रयोग उक्त कार्य में होने के कारण उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए मापदण्डों व तय नियमों के अनुरूप नहीं है। अतः हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य न करवाकर निम्न गुणवता का कार्य करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व निष्पादित कार्य को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

9. (क) खेलों के उपकरण ₹31800 का अनियमित वितरण

मैसर्ज शौर्य इण्टरप्राईजिज गगल, नादौन, जिला हमीरपुर को निम्न विवरणानुसार ₹31800 के खेल उपकरण सामान्य रोकड़ वही वाउचर संख्या : 74, माह : 11/2015 द्वारा क्रय कर भुगतान किया गया।

क्र0 सं0	सामान का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1.	क्रिकेट बैट	3	1500	4500
2.	विकेट	18	100	1800
3.	बैटिंग ग्लवस	3 जोड़े	400	1200
4.	बैटिंग लैग गार्ड	3 जोड़े	700	2100
5.	कीपिंग ग्लवस	3 जोड़े	460	1380
6.	विकेट कीपिंग पैड	3 जोड़े	700	2100
7.	एवडॉमिनल गार्ड	3	60	180
8.	क्रिकेट बॉल	6	200	1200
9.	क्रिकेट हैलमेट	3	740	2220
10.	क्रिकेट किट बैग	3	693	2079
11.	वालीबॉल	9	700	6300
12.	वालीबॉल नैट	9	600	5400
13.	पम्प	9	149	1341
			योग	₹31800

उपरोक्त क्रय सामान को युवक मण्डलों व अन्य लोगों को वितरित कर स्टॉक शून्य कर दिया गया। जांच के दौरान पाया गया कि सामान को युवक मण्डलों व अन्य लोगों को वितरित करने हेतु ग्राम पंचायत सभा द्वारा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के खेल उपकरणों का वितरण अनियमित है। इस बारे स्थिति तथ्यों व नियमानुसार स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

(ख) ग्राम सभा के अनुमोदन के बगैर व निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण किए बगैर ₹18000 का व्यय करना :–

श्री पूरण चन्द सुपुत्र श्री रूलिया राम, गांव ननावीं को खच्चरों द्वारा सामान ढोने की एवज में सामान्य रोकड़ वही वाउचर संख्या : 87, दिनांक 25.3.2014 द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹18000 का भुगतान किया गया।

क्र0 सं0	सामान की मात्रा	दर	मूल्य
1.	28 घन मीटर	600	16800
2.	60 बोरी	20	1200
		योग	₹18000

उपरोक्त सामान की ढुलवाई का कार्य खच्चरों के माध्यम से करवाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था व न ही ग्राम पंचायत सभा से उक्त सामान को खच्चरों के माध्यम से ढुलवाई करवाने हेतु अनुमति प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त कार्य करवाने से पूर्व हि0 प्र0 पंचायत राज 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा प्रावधित औपचारिकताएं भी पूर्ण नहीं की गई थी। अतः ढुलवाई का कार्य नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

(ग) ग्राम सभा के अनुमोदन के बगैर जे0सी0बी0 द्वारा कार्य करवाने पर ₹22500 का अनियमित व्यय :–

श्री दविन्द्र कुमार को चैक संख्या : 705472, ₹23700 सामान्य रोकड़ वही वाउचर संख्या : 80, दिनांक 11.3.2013 द्वारा का निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गया।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1.	निर्माण लिंक रोड़ गांव धतोल से शमशान घाट तक	जे0सी0बी0 से कटिंग व ड्रैसिंग	25 घण्टे	900	22500
		सीमेंट भाड़ा व लोडिंग/अनलोडिंग	2 फेरे	600	1200
				योग	₹23700

उपरोक्त कार्य जे0सी0बी0 के माध्यम से करवाने हेतु ग्राम पंचायत सभा द्वारा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। अतः बिना प्रस्ताव पारित कर किया गया अनियमित व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित किया जाये।

10. (क) पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गई ₹0.29 लाख की मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय/प्राप्त किए गए स्टोर (सामान) की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी करने की प्रविष्टियों की जानी अपेक्षित थी। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट–"3" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹28895 के स्टॉक स्टोर का

क्रय किया गया, लेकिन उक्त सामग्री स्टोर/स्टॉक प्रविष्टियां नहीं की गई और न ही उपयोग विवरण ईन्द्राज किया गया। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अभिलेख पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ₹1975 के क्रय की गई स्टेशनरी/सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 के अनुसार क्रय/प्राप्त किए गए स्टोर (सामान) की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियां व जारी करने की प्रविष्टियों की जानी अपेक्षित थी, लेकिन व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट– "4" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹1975 की स्टेशनरी/सामान का क्रय किया गया, लेकिन उक्त क्रय की गई स्टेशनरी/सामान की स्टॉक प्रविष्टियां व उपयोग विवरण रजिस्टर में ईन्द्राज नहीं किया गया। स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियों व खपत से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उपरोक्त क्रय दर्शाई गई स्टेशनरी के दुरूप्योग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त क्रय की गई स्टेशनरी/सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वांछित स्टॉक प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए।

11. अदायगी आदेश (पे ऑर्डर) के बिना ₹1.68 लाख का भुगतान करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) व 2 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नकद में या चैक द्वारा कोई भी देय राशि ग्राम पंचायत के प्रधान और पंचायत के सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को दर्शाकर संयुक्त हस्ताक्षरित कर भुगतान की जानी अपेक्षित थी, लेकिन ग्राम पंचायत धुन्धला के अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि कि परिशिष्ट– "5" पर उल्लेखित ₹168186 का व्यय ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त भुगतान आदेशों के बिना ही भुगतान किया गया, जोकि अनियमित था। अतः नियमों के अवहेलना करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए उपरोक्त उल्लेखित ₹168186 के समस्त व्यय वाउचरों पर संयुक्त भुगतान आदेश लगवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं। भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. (क) खाता (ख) के ब्याज ₹1720 को खाता (क) में अन्तरित न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रति वर्ष, मास : जनवरी तथा जुलाई में पचायत द्वारा खाता (ख) से अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता (क) में हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित था,

परन्तु ग्राम पंचायत के खातों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है व अनुदानों पर प्राप्त ब्याज राशि को स्वयं संसाधनों के खाता (क) में अन्तरित नहीं किया गया। अतः उक्त नियम की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व निम्नानुसार खाता (ख) से अर्जित ब्याज ₹1720 को खाता (क) स्वयं संसाधनों में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	**वित्तीय वर्ष**	**आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III से अर्जित ब्याज**	**आई0पी0एच0 से अर्जित ब्याज**	**कुल योग**
1.	2013–14	616	194	810
2.	2014–15	395	188	583
3.	2015–16	47	280	327
	कुल योग	**1058**	**662**	**1720**

(ख) जांच के दौरान पाया गया कि आई0डब्ल्यू0एम0पी0–III की रोकड़ वही से दिनांक 3.11.2015 को उक्त खाते पर अर्जित ब्याज ₹1500 को खण्ड विकास अधिकारी बंगाणा को हस्तांतरित किया गया, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियम 4(1) की अवहेलना है। अतः नियमों के विपरीत ब्याज की राशि खण्ड विकास अधिकारी को हस्तांतरित करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियिम 2002 के नियम 4(1) द्वारा विर्निदिष्ट सभी अनुदानों पर अर्जित ब्याज को वर्ष समाप्ति उपरान्त स्वयं संसाधानों के खाता (क) में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विवरणी तैयार न करना :–

ग्राम पंचायत में प्रति वर्ष विकास कार्य हेतु लाखों रूप्ये की निर्माण सामग्री क्रय की गई थी, लेकिन माप पुस्ताकाओं में वास्तविक सामग्री उपयोग विवरणी तैयार नहीं की गई है, जिसके कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि जिस कार्य हेतु निर्माण सामग्री की मात्रा क्रय हुई, क्या समस्त सामग्री सम्बन्धित कार्य में उपयोग हुई? अतः भविष्य में माप पुस्ताकाओं में सामान खपत विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

14. वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार लेखों का रख–रखाव ग्राम पंचायत धुन्धला द्वारा नहीं किया गया, जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत

धुन्धला के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व तारीख उल्लेखित नहीं था, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व तारीख अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. टी0डी0एस0 की कटौती न करना :–

आयकर की धारा 194(सी0) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति संविदाकार अथवा फर्म को किए गए ₹3000 से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा ₹75000 से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से टी0डी0एस0 की कटौती की जानी अपेक्षित है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में टी0डी0एस0 राशि की कटौती न कर सरकारी कोष को हानि पहुंचाई। अतः अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक टी0डी0एस0 के रूप में कम जमा हुई राशि की गणना संस्था स्तर पर करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि उचित स्त्रोत से वसूल कर सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

16. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
2.	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	31	95 (1)
4.	मासिक समाधान विवरणी		15
5.	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29 (1)
6.	मंग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
7.	अनुदान रजिस्टर	21	61 (1)
8.	डाक रजिस्टर	24	61 (2)
9.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 26	72 (1)

17. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख–रखाव न करना :–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है।

(1) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(2) शिकायत रजिस्टर (B-11)

ग्राम पंचायत धुन्धला द्वारा उपरोक्त अभिलेख तैयार नहीं किया गया, जोकि उक्त नियमों की अवहेलना है। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से तैयार नहीं की गई है।

20. निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(5)5/2016, खण्ड–1–4767–4770 दिनांकः05.09.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या : 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
3. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0
4. सचिव, ग्राम पंचायत धुन्धला, विकास खण्ड बंगाणा, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.